



2026:AHC:5197

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 32791 सन् 2025

निजनाम उर्फ नीलम

....याचिककर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता

: मनीष कुमार तिवारी, राजेन्द्र कुमार सिंह

विपक्षी के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता सर्व/श्री मनीष कुमार तिवारी, राजेन्द्र कुमार सिंह को तथा विद्वान अ.शा.अ. श्री पुनीत कुमार सिंह को राज्य-प्रतिवादी की ओर से सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अन्तर्गत प्रस्तुत यह जमानत आवेदन आवेदक निजनाम उर्फ नीलम की ओर से विचारण की लम्बितता के दौरान भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 74 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 7/8 के अन्तर्गत थाना मालपुरा, जिला आगरा में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 386 सन् 2025 में जमानत पर रिहाई हेतु प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है। उसे इस मुकदमा अपराध संख्या में मिथ्या रूप से फँसाया गया है तथा वह 25.08.2025 से कारागार में है। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आवेदक के विरुद्ध छेड़छाड़ का आरोप है तथा उसके द्वारा कोई यौन उत्पीड़न कारित नहीं किया गया। प्रकरण में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है एवं संज्ञान लिया जा चुका है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



नहीं है तथा जमानत पर रिहाई की स्थिति में न्यायिक प्रक्रिया से विमुख होने या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है। अतः जमानत की प्रार्थना की गई है।

इसके विपरीत, विद्वान अ.शा.अ. ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध किया है, किन्तु विद्वान अधिवक्ता के उपर्युक्त कथन पर विवाद नहीं कर सके।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में दंड की गंभीरता एवं सहायक साक्ष्य की प्रकृति, साक्षी के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका तथा प्रथम दृष्टया प्रकरण पर विचार करते हुए, किन्तु प्रकरण के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना, जमानत का मामला बनता है।

तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

अभियुक्त-आवेदक निजनाम उर्फ नीलम को उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर व्यक्तिगत मुचलका एवं दो विश्वसनीय जमानतदारों, जो समान राशि के होंगे, प्रस्तुत किए जाने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

1. आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव/डर नहीं डालेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।
4. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित रहेगा, जब तक संबंधित न्यायालय अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दे।

उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उसकी जमानत निरस्त करने की कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

08 जनवरी, 2026

एम/एन

(न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।